उत्तर प्रदेश शासन
रेशम विकास अनुभाग-2
संख्या-04/2021/198/74-2-2021-09(बजट)/2019
लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2021

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-3/2021/178/74-2-2021-09(बजट)/2019 दिनांक 22 मार्च, 2021 में योजनान्तर्गत आच्छादित/संबंधित जनपदों में कानपुर नगर के स्थान पर कानपुर देहात एवं विशेष सचिव के स्थान पर सचिव पढा जाए।

उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

नरेन्द्र सिंह पटेल
सचिव।

संख्या-04/2021/198(1)/74-2-2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) निदेशक, रेशम निदेशालय उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, जालौन, बाँदा, चित्रकूट, एवं हमीरपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(9) समाज कल्याण विभाग(बजट प्रकोष्ठ)।
(10) नियोजन अनुभाग-4
(11) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

नरेन्द्र सिंह पटेल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।